that is, the 'right to work' under the MGNREGA scheme. As for giving unemployment allowance, it is not under my jurisdiction. Anyway, at present, the Government is not considering that.

**Fresh package for handloom weavers**

*262. SHRI ARVIND KUMAR SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of handloom weavers in Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh, State-wise and district-wise;

(b) whether Government is aware that condition of handloom weavers in Uttar Pradesh is very pathetic and most of them are suffering from tuberculosis and huge debt;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government would announce a fresh package for handloom weavers, particularly of Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): (a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

(a) As per the Handloom Census 2009-10 conducted by National Council of Applied Economic Research, there are 2,57,783 handloom weavers in Uttar Pradesh, 43392 handloom weavers in Bihar and 14761 handloom weavers in Madhya Pradesh. State-wise and district-wise details of number of handloom weavers in Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh are given in statement-I (*See* below).

(b) to (f) The Government of India is aware of the financial stress being faced by the handloom weavers including handloom weavers of Uttar Pradesh due to various factors and the choked credit lines due to loans from various sources. The State Government of Uttar Pradesh has informed that data pertaining to handloom weavers suffering from tuberculosis is not available. As regards debt, as per handloom census 2009, 84% of loans taken by handloom weavers are from money lenders, master weavers, traders, relatives/friends and only 16% loans have been taken from commercial banks and societies.

Besides implementing the developmental Plan schemes for handloom sector, the Government of India is implementing Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme throughout the country, including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar for providing handloom weavers access to healthcare facilities through Health Insurance Scheme (HIS) and life insurance through Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojna (MGBBY).

In order to address the issue of debt stress and to open the choked credit lines of handloom sector, the Government approved a Financial Package for loan waiver for handloom sector in November, 2011. It includes one-time waiver of overdue loans from banks and interest of eligible handloom cooperative societies and individual weavers as on 31st March, 2010, in order to make them eligible for fresh credit. The Package covers loan waiver of 100% of principal and 25% of interest, which is overdue as on 31.03.2010 in respect of eligible individual handloom weavers and weavers' cooperative societies in all States including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar. The total financial implication of this package is Rs. 3884 crore, out of which Government of India share is Rs. 3137 crore and share of State Government's is Rs. 747 crore. NABARD is the implementing agency for the package. Further, to subsidize fresh credit need, the Government approved Institutional Credit Component under Comprehensive Package with two subsidy components, subsidized credit and yarn subsidy in December, 2011. Government of India is providing margin money assistance @ Rs. 4200/- per weaver, interest subsidy of 3% for 3 years with a 3 year guarantee by the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) to provide cheaper loans. The second component is a 10% price subsidy on silk and cotton yarn against yarn pass book. On the demand of State Governments, the Government is considering relaxing the norms of both packages.

***Statement-I***

*State-wise and district-wise number of handloom weavers in Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh*

| Uttar Pradesh | | Bihar | | Madhya Pradesh | |
|---|---|---|---|---|---|
| District | No. of handloom weavers | District | No. of handloom weavers | District | No. of handloom weavers |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Agra | 210 | Arwal | 252 | Ashok Nagar | 2849 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aligarh | 150 | Aurangabad | 5507 | Balaghat | 433 |
| Allahabad | 214 | Banka | 5277 | Bhind | 195 |
| Ambedkar Nagar | 2222 | Bhagalpur | 13242 | Bhopal | 320 |
| Azamgarh | 40346 | Bhojpur | 112 | Chhatar Pur | 212 |
| Baghpat | 6153 | Buxar | 296 | Chhindwara | 1288 |
| Barabanki | 14336 | Gaya | 7637 | Datiya | 68 |
| Bareily | 1575 | Jehanabad | 145 | Guna | 31 |
| Bijnor | 1353 | Kaimur (Bhabua) | 919 | Gwalior | 991 |
| Bulandshaher | 741 | Madhubani | 2721 | Indore | 274 |
| Chandauli | 8669 | Nalanda | 930 | Jabalpur | 3655 |
| Etawah | 1483 | Nawada | 488 | Khargone | 997 |
| Farukkhabad | 120 | Paschim Champaran | 28 | Mandaur | 249 |
| Fatehpur | 50 | Patna | 2252 | Moraina | 60 |
| Firozabad | 104 | Purba Champaran | 25 | Narsinghpur | 34 |
| Gajipur | 357 | Rohtas | 2143 | Raisen | 170 |
| Gautam Budh Nagar | 43 | Saran | 7 | Rajgarh | 490 |
| Ghaziabad | 869 | Siwan | 1411 | Rewa | 251 |
| Gorakhpur | 8141 | TOTAL | 43392 | Sagar | 186 |
| Hamirpur | 59 | | | Sehore | 945 |
| Hardoi | 990 | | | Shajapur | 123 |
| Hathras | 1336 | | | Shivpuri | 105 |
| Jalun | 471 | | | Sidhi | 132 |
| Jaunpur | 250 | | | Tikamgarh | 258 |
| Jhansi | 3586 | | | Vidisha | 445 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanpur D | 103 | | | TOTAL | 14761 |
| Kanpur N | 4513 | | | | |
| Kheri | 53 | | | | |
| Lalitpur | 219 | | | | |
| Maharajganj | 220 | | | | |
| Mainpuri | 129 | | | | |
| Mathura | 62 | | | | |
| Mau | 3723 | | | | |
| Meerut | 3402 | | | | |
| Mirjapur | 4875 | | | | |
| Moradabad | 29622 | | | | |
| Muzaffarnagar | 899 | | | | |
| Pilibhit | 3269 | | | | |
| Pratapgarh | 209 | | | | |
| Rae Bareli | 81 | | | | |
| Rampur | 597 | | | | |
| Sant Kabir Nagar | 246 | | | | |
| Siddhart Nagar | 7 | | | | |
| Sitapur | 11298 | | | | |
| Unnao | 1837 | | | | |
| Varanasi | 95439 | | | | |
| TOTAL : | 257783 | | | | |

**श्री अरविन्द कुमार सिंह:** सभापति जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, वाराणसी, मऊ एवं आजमगढ़ जनपद बनारसी साड़ी उद्योग के केन्द्र हैं, परन्तु इन जिलों की बुनकर बस्तियों में

जाने पर हमें गरीब एवं गरीबी की पराकाष्ठा दिखती है। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त बाजार सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण बुनकर बिचौलियों के cartel की वजह से जबर्दस्त शोषण का शिकार हो रहा है। जो बनारसी साड़ी बाजार में 5000 से 8000 रुपये में बिकती है, उसे बुनकर बिचौलियों के cartel की वजह से मात्र 500 रूपये में बेचने को मजबूर हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषकर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ एवं आजमगढ़ के बुनकरों को बिचौलियों के शोषण से बचाने एवं स्थानीय स्तर पर सरकारी बाजार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस वित्तीय वर्ष में क्या-क्या ठोस कदम उठाए जाएँगे?

**श्री आनन्द शर्मा:** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसकी पूरी जानकारी मैंने सरकार की तरफ से अपने उत्तर में दे दी है। विशेष तौर पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर बुनकरों की जो समस्याएँ हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार की तरफ से कई योजनाएँ इस समय इम्प्लिमेंट हो रही हैं। एक तो बुनकरों के लिए पूरे देश में Comprehensive Welfare Scheme लागू है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो जिक्र किया, वह सही बात है। वहाँ मऊ और आजमगढ़ के क्षेत्र में हमारी पुरानी परम्परागत बनारस की साड़ी बनती है। वहाँ बुनकरों की समस्याओं को देखने के लिए हमारे अधिकारी गये और मैं स्वयं भी वहाँ जाकर बुनकरों से मिला। विशेष तौर पर, बुनकरों को ऋण की उपलब्धि और उनके स्वास्थ्य के इंश्योरेंस की जो योजनाएँ पिछले साल नवम्बर महीने तक थीं, उनको पर्याप्त नहीं पाया गया। क्योंकि बुनकर जो काम करते हैं, उससे एक तो उनकी आँखों पर जोर पड़ता है, दूसरा उनको फेफड़ों की बीमारी रहती है। इसलिए जो अन्य नयी योजनाएँ लागू हुई हैं, उनमें एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और दूसरी इंश्योरेंस के लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है।

बुनकरों के प्रतिनिधियों से बात करके तथा राज्य सरकारों से जाँच करा कर दो बड़े निर्णय लिए गए। एक निर्णय उन्होंने बैंकों से जो कर्ज लिए थे, उनकी कर्ज माफी का one time waiver का था। जितनी भी हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसायटीज़ और निजी बुनकर थे, उनके 31 मार्च 2010 तक जितने कर्ज थे, जिनके बारे में राज्य सरकारों को ऑडिट करके सूचना भेजनी थी, नाबार्ड के माध्यम से इसको लागू किया जा रहा है।

यह एक बात थी कर्जों की माफी और दूसरे जो पैकेज की घोषणा की गयी, उसमें यह है कि बैंकों से बुनकरों को fresh कर्जा मिले। उसके लिए मार्जिन मनी जो खुद बुनकरों को देनी पड़ती थी, वह अब केन्द्र की सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस में 4200 रुपये हर बुनकर की मार्जिन मनी, तीन वर्ष के लिए interest की subsidy और कर्जे की गारंटी, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises CGTMSE के माध्यम से केन्द्र सरकार देती है। तो मार्जिन मनी, कर्जे की गारंटी, कर्जे की उपलब्धि केन्द्र सरकार

करवा रही है। इस पर हम निरंतर निगाह रखे हैं कि उसका क्रियान्वयन ठीक तरह से हो। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस में सबसे बड़ी समस्या जो मेरी समझ में आई है, इसके लिए सब राज्यों से चर्चा जरूरी है। कई राज्य इस विषय में काफी गतिशील और संवदेनशील हैं, वे तुरंत जवाब देते हैं क्योंकि जो कर्जा माफी है, उसका 25 प्रतिशत और जो मीडियम समिति है, उसके लिए 20 प्रतिशत राज्यों को देना पड़ता है। कई राज्यों ने इस सम्बंध में कदम उठाए हैं और ऑडिट किया है। कुछ राज्य इस सम्बंध में काम थोड़ा सुस्ती से कर रहे हैं। उन्हें हम आग्रह करते रहते हैं कि वे भी इस काम को तेजी से करें।

**श्री सभापति:** दूसरा प्रश्न।

**श्री अरविन्द कुमार सिंह:** परिधान निर्माण संवर्धन समिति के अनुसार पिछले दो सालों में कपड़ा उद्योग में 45 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकर और विशेषकर हथकरघा बुनकर सैंकड़ों वर्षों से चले आ रहे अपने सम्मानित पैतृक व्यवसाय को छोड़कर construction उद्योग में दैनिक मजदूरी कर हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अकेले गाजीपुर और बनारस जनपदों से लाखों की संख्या में हथकरघा बुनकर अपना पैत्रिक व्यवसाय छोड़ चुके हैं और "मनरेगा", construction उद्योग में मजदूरी या रिक्शा खींचने जैसा काम कर रहे हैं। क्या सरकार इस सम्बंध में सर्वे कराएगी और बुनकरों, विशेषकर हथकरघा बुनकरों के पलायन को रोकने के लिए बंद हुई कपड़ा मिलों को चालू करेगी और बुनकरों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

**श्री आनन्द शर्मा:** माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य और सदन को अभी अवगत कराया कि सरकार स्वयं बुनकरों की समस्या को समझते हुए इस विषय में गंभीर चिंता करती है। इसीलिए इस सम्बंध में निरंतर कदम उठाए गए हैं। यह प्रश्न अलग है कि कपड़ा क्षेत्र में समस्या है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बारे में अलग से प्रश्न लाएं या कपड़ा क्षेत्र के सम्बंध में मुझ से अलग से जानकारी लें। आपका यह प्रश्न बुनकरों की, विशेषकर तीन राज्यों की समस्याओं को लेकर है। मैंने जिन स्कीम्स का उल्लेख किया और बुनकरों को जो पैकेज दिए गए, वे दोनों पैकेज इस वक्त under implementation हैं और उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं। यह समीक्षा मेरे स्तर पर हर 45 दिनों के बाद होती है, कपड़ा सचिव के स्तर पर हर महीने की रिपोर्ट आती है और किस राज्य ने कितना काम किया, कितना पैसा गया, कितना कर्जा माफ हुआ, कितने credit card नए शुरू हुए हैं, वह ब्यौरा मेरे पास है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा क्योंकि उसका उल्लेख हुआ है। कपड़ा क्षेत्र में टैक्सटाइल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। बड़ी कपड़ा मिलें बंद हुई हैं। इसलिए अलग से एक पैकेज दिया गया है।

**सुश्री मायावती:** सभापति जी, ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** पहले आप उनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए ...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती:** नही, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नही हूं।* 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। आप हाउस के चेयरमैन हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर मे चलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** आप बैठ जाइए, यह प्रश्नकाल चल रहा है। ...**(व्यवधान)**...

**सुश्री मायावती:** *और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा?...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** आप बैठ जाइए। प्लीज, प्रश्नकाल चलने दीजिए ...**(व्यवधान)**...प्लीज।

**सुश्री मायावती:** 12 बजे के बाद हाउस नही चलता है, कौन करेगा इसकी व्यवस्था? हाउस ऑर्डर में चलना चाहिए।

**श्री सभापति:** हाउस सब के सहयोग से ठीक चलता है और चलेगा।

**सुश्री मायावती:** इसकी जिम्मेदारी आपकी है, यह आपको देखना है, मगर पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए।

**श्री सभापति:** थैंक यू, प्लीज।

**सुश्री मायावती:** *इसलिए इसका फैसला पहले हो जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** प्लीज आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप यह क्या कर रही हैं? ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**... देखिए, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, प्लीज। ...**(व्यवधान)**... प्रश्न-काल चल रहा है, मंत्री जी का जवाब आने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... अभी तो हाउस चल रहा है, आप उसको चलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... देखिए, प्लीज आप अपनी जगह वापिस चले जाइए। ...**(व्यवधान)**... नही, नही। ...**(व्यवधान)**... आप लोग, सतीश जी, प्लीज। ...**(व्यवधान)**...

The House is adjourned till 1200 hours.

The House then adjourned at thirty-one minutes past eleven of the clock.

The House re-assembled at twelve of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

---

* Expunged as ordered by the Chair.